अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

पक्ष

फिरोज खान ....प्रथम पक्ष
बनाम
सरकार ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....97.... सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक/आवेदिका फिरोज खान पिता स्व० अख्तर हुसैन, साकिन–बगोदर, मोहल्ला मुस्लिम जामा मस्जिद गली, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा–बगोदर अंतर्गत, खाता नं०–185, प्लॉट नं०–2166, रकवा–36 डी०, चौहद्दीः उ०–मुन्ना कुमार सिंह, द०–बुनु अंसारी, पू०–अरुण कुमार मेमोरियल स्कूल, प०–परती कदीम वो बगोदर हजारीबाग मुख्य मार्ग में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बगोदर से मांगे। To 4/08/22 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17/08/22	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ बगोदर के ज्ञापांक सं0 1911/22 दिनांक 09.08.2022 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 15/08/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 15/08/22 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15/9/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 29.9.22 को रखें। 15/9	
29/9/22	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतनामा दाखिल। अभिलेख, दिनांक 13.10.22 को रखें।	
13.10.22	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय वकालतनामा दाखिल। उभय पक्ष की ओर से जवाब दाखिल। प्रस्तावना वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी बगोदर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रथम पक्ष के 313 सार अनुसार नकराठी भूमि, बगोदर मौजा स्थित खाता-185, खसरा-2166 रकबा-36 डी है। उक्त जमीन रहीम मियाँ पिता कादिर मियाँ ने केवाला द्वारा बीबी कनीजा निशा पति महबूब हुसैन तथा अख्तर हुसैन पिता महबूब हुसैन को बिक्री कर दिया तथा उक्त आधार पर दोनों दखलकार हुये। बीबी कनीजा निशा को एक मात्र	

(4)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पुत्र अख्तर हुसैन तथा दो पुत्री - अनिशा खातुन तथा रसीदा खातुन हुई। दोनों परिकेन खरीदगी भूमि का आधा 18 डी. अख्तर हुसैन तथा आधा 18 डी. में दोनों बहने अनिशा खातुन एवं रसीदा खातुन दखल कार हुई। दोनों बहनों की जमीन को विपक्षी जबरन दखल करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में डेर निबंधित विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति एवं ऑन लाईन पंजी-II की छाया प्रति दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार रहीम मियाँ से प्रजनागत भूमि की खरीदगी के पश्चात् अख्तर हुसैन और बीबी कनीजन, जो माँ बेटा है भूमि पर आधा-आधा पर हकदार एवं दखलकार हुये। बीबी कनीजन के पुत्र अख्तर हुसैन और दो पुत्रियाँ अनीसा खातुन एवं रसीदा हुये। अख्तर हुसैन ने अपने जीवन काल में दोनों	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	बहनों को दुरुस्ती हिस्सा दे दिये। बीबी कनीज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अख्तर हुसैन कुल 36 डी. जमीन पर दखलकार हुये। अख्तर हुसैन उक्त 36 डी. जमीन अपनी पत्नी असमा खातुन के नाम से देन मोहर में दिनांक 25.03.2001 को दे दिया। अख्तर हुसैन अपने पीछे दो लड़के फिरोज खान एवं परवेज खान तथा पाँच लड़कियों - शबा खातुन, शाहजादी खातुन, शमा प्रवीण, रजिया बानो एवं बेनजीर अख्तर को छोड़ कर मरे। अख्तर हुसैन का बड़ा लड़का फिरोज खान निहायत ही उदण्ड, बदमाश एवं झगड़ालु व्यक्ति है। अतः असमा खातुन ने दिनांक 21.7.2021 को बजरिये शपथ से जायदाद से बेदखल कर दिया। इस प्रकार द्वितीय पक्ष एक मात्र प्रश्नगत भूमि के अधिकारी होते हैं, जिस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं बनता है।	

6

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में दैन मेहर इकरार की छाया प्रति एवं वसिका इकरारनामा की छाया प्रति दाखिल किया गया। साथ ही सम्बन्ध प्रमाण-पत्र का शपथ पत्र की छाया प्रति (दिनांक 14/2/11) दाखिल किया गया है। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि कनिजा खातुन के नाम से है जो द्वितीय पक्ष की दादी सास लगती है। मुस्लिम रिति-रिवाज में माँ के जायदाद पर बेटी का हिस्सा अधिकार बनता है जो द्वितीय पक्ष नहीं देना चाहते हैं। फलतः विवाद/तनाव स्थल पर कायम है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं दस्तावेजों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह मामला मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिस्सेदारी का है, जिसका स्थायी समाधान व्यवहार न्यायालय में ही हो सकता है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4. 1	2	3
	चूंकि द्वितीय पक्ष के द्वारा बेटियों को हक-हिस्सा दिया जा चुका है तथा एक पुत्र को सम्पत्ति से शपथ-पत्र के माध्यम से बेदखल किया जा चुका है अतः अपवर्जन के नियम के अंतर्गत Apostle के सिद्धान्त को मानते हुये नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है। यह आदेश नोटिस निर्गत करने की तिथि से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। ह० [illegible] अ०प्र०	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.11.12 16:55:36 +05:30
Location: 192.168.1.3